रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05122023-250441
CG-DL-E-05122023-250441

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 803] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 5, 2023/अग्रहायण 14, 1945
No. 803] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 5, 2023/AGRAHAYANA 14, 1945

भारतीय उपचर्या परिषद्

प्रत्याहार आदेश

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2023

फा. सं. 18–18/14806.—आईएनसी.—समय–समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय उपचर्या परिषद् एतदद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है :–

जबकि, **छत्रसाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्राम पंचायत जानवर ग्राम, जिला पन्ना–488001 (मध्य प्रदेश)** मध्य प्रदेश राज्य सरकार तथा मध्य प्रदेश नर्स पंजीकरण परिषद् द्वारा **जीएनएम और बी.एससी. (नर्सिंग)** पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए मान्यता प्राप्त है।

वहीं, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14 के तहत मान्यता वापस लेने के लिए प्रधान सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), मध्य प्रदेश राज्य सरकार, कमरा संख्या 241, मंत्रालय (वल्लभ भवन) एरेरा हिल्स, भोपाल–462004, मध्य प्रदेश को संबोधित नोटिस संख्या 18–18/14806–आईएनसी दिनांक 27.10.2022 को जारी किया गया था। दिनांक 27.10.2022 को जारी नोटिस की एक प्रति **छत्रसाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्राम पंचायत जानवर ग्राम, जिला पन्ना–488001 (मध्य प्रदेश)** को भी भेजी गई थी। जारी किए गए नोटिस में राज्य सरकार से नर्सिंग संस्थान की उपयुक्तता के संबंध में परिषद् को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

चूंकि, **छत्रसाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, मध्य प्रदेश** के संबंध में परिषद् को राज्य सरकार से कोई अनुशंसा प्राप्त नहीं हुई है। यहां तक कि संस्था यानी **छत्रसाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग** ने भी जारी किए गए नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है।

वहीं, परिषद् ने इस मामले पर पूरी तरह से विचार किया है। दिनांक 28.03.2022 की निरीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि संस्थान में कई मामलों में कमी है, विशेष रूप से वे कमियां जो नैदानिक और शिक्षण सुविधाओं से संबंधित हैं।

अतः, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14(3)(बी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् यह घोषणा करती है कि दिनांक 23.02.2023 से **छत्रसाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्राम पंचायत जानवर ग्राम, जिला**

पन्ना–488001 (मध्य प्रदेश) से जीएनएम और बी.एससी. (नर्सिंग) मान्यता प्राप्त योग्यता धारक प्रत्येक व्यक्ति मध्य प्रदेश राज्य सरकार के आदेशों के अध्यधीन केवल **मध्य प्रदेश राज्य** में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

लेफ्टिनेंट कर्नल (डॉ.) सर्वजीत कौर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./585/2023-24]

INDIAN NURSING COUNCIL

WITHDRAWAL ORDER

New Delhi, the 28th November, 2023

F.No. 18-18/14806-INC.—In exercise of the powers conferred under Section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), the Indian Nursing Council hereby issues the following order:—

Whereas **Chhatrasal College of Nursing** situated at **Grampanchyat Janvar Gram, Panna District Panna 488001, Madhya Pradesh** is recognized by State Government of Madhya Pradesh and Madhya Pradesh Nurses Registration Council to conduct **GNM & B.Sc(N)** Course.

Whereas, a notice no. 18-18/14806-INC dated 27/10//2022 for withdrawal of Recognition under section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 addressed to Principal Secretary (Health &FW), Government of Madhya Pradesh, Room No. 241, Mantralaya (Vallabh Bhawan) Area Hills, Bhopal – 462004, Madhya Pradesh was issued. Copy of the notice dated 27/10//2022 was also enclosed to **Chhatrasal College of Nursing** situated at **Grampanchyat Janvar Gram, Panna District Panna 488001, Madhya Pradesh**. In the notice issued, the State Government was requested to submit their recommendations to the Council as respects Suitability of the nursing institution.

Whereas, the Council has not received any recommendation from the State Government as respects the case of **Chhatrasal College of Nursing**, Madhya Pradesh. Even the institution **Chhatrasal College of Nursing** has not responded to the notices issued.

Whereas, the Council has considered the matter in its entirety. Perusal of the inspection report dated 28/03/2022 would show that the institution is deficient in many respects especially those relating to deficiencies i.e., clinical and teaching facilities.

Now therefore, the Council exercising powers under section 14(3)(b) of Indian Nursing Council Act, 1947 declares that with effect from 23/02/2023 any person holding a recognized qualification of GNM & B.Sc(N) **Chhatrasal College of Nursing** situated at **Grampanchyat Janvar Gram, Panna District Panna 488001, Madhya Pradesh** shall be entitled to be registered only in the State of Madhya Pradesh subject to the orders of State government of Madhya Pradesh.

Lt. Col. (Dr.) SARVJEET KAUR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./585/2023-24]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.12.05 22:05:43 +05'30'